

अधिसूचना

(डीबीओडी.सं.एलईजी.बीसी38/सी.233ए-85 दिनांक 29 मार्च 1985)

(यूबीडी.बीआर.764/बी.1-84/85 दिनांक 29 मार्च 1985)

उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित (सहकारी बैंक के लिए) क्रमशः बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडसी की उप-धारा (3) और धारा 45जेडई की उप-धारा (4) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुओं को वापस करने से पहले तैयार की जाने वाली सूची और एक सुरक्षा लॉकर की सामग्री को हटाने की अनुमति देने से पहले तैयार की जाने वाली सूची क्रमशः उपयुक्त परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार संलग्न या उसके निकट के रूप में निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए।

ह/-

ए घोष

उप गवर्नर

बैंकिंग कंपनी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुओं की सूची का प्रपत्र  
(बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडसी (3))

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (मृतक) द्वारा \_\_\_\_\_ शाखा के पास सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुओं की निम्नलिखित सूची एक समझौते/रसीद के तहत दिनांक \_\_\_\_\_ 20 के \_\_\_\_\_ इस दिन लिया गया था।

क्र.सं.	सुरक्षित अभिरक्षा में लेखों का विवरण	अन्य पहचान विवरण, यदि कोई हो

उपरोक्त सूची को निम्न की उपस्थिति में लिया गया था:

श्री/श्रीमती.

(नामित) श्री/श्रीमती. \_\_\_\_\_

(नाबालिग नामिती की ओर से नियुक्त)

पता \_\_\_\_\_ अथवा पता \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

मै, श्री/श्रीमती. (नाबालिग नामिती की ओर से नामित/नियुक्त) एतद्वारा उक्त सूची की एक प्रति के साथ उपरोक्त सूची में शामिल और निर्धारित लेखों की प्राप्ति की सूचना देता है।

श्री/श्रीमती. \_\_\_\_\_ (नामित) श्री/श्रीमती. \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_ (नाबालिग नामिती की ओर से नियुक्त)

दिनांक और स्थान \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

दिनांक और स्थान \_\_\_\_\_

### सामग्री की सूची का प्रपत्र

बैंकिंग कंपनी से किराए पर लिया गया सेफ्टी लॉकर

(बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45झेडई (4))

सुरक्षा लॉकर संख्या \_\_\_\_\_ की सुरक्षित जमा तिजोरी में \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ शाखा में स्थित \_\_\_\_\_ की सामग्री की निम्नलिखित सूची।

\* श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ मृतक द्वारा अपने एकल नाम पर किराए पर लिया गया

\* श्री/श्रीमती द्वारा किराए पर लिया गया. (i) \_\_\_\_\_ (मृतक)  
(ii) \_\_\_\_\_ संयुक्त रूप से  
(iii) \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_\_ के इस \_\_\_\_\_ दिन पर लिया गया था।

क्र. सं	सुरक्षा लॉकर में लेखों का विवरण	अन्य पहचान विवरण, यदि कोई हो

सूची के प्रयोजन के लिए, नामित/और जीवित किराएदारों को लॉकर तक पहुंच प्रदान की गई थी

- जिसने लॉकर की चाबी दी।
- उनके अनुदेशों के तहत लॉकर को तोड़कर।

उपरोक्त सूची की उपस्थिति में ली गई थी:

1. श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (नामित) \_\_\_\_\_  
पता \_\_\_\_\_ (हस्ताक्षर)  
अथवा

1. श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (नामित) \_\_\_\_\_  
पता \_\_\_\_\_ (हस्ताक्षर)  
और

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_  
पता \_\_\_\_\_ (हस्ताक्षर)

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_  
पता \_\_\_\_\_ (हस्ताक्षर)

संयुक्त किराएदारों के उत्तरजीवी

2. गवाह (ओं) नाम, पता और हस्ताक्षर के साथ:

\* मैं, श्री/श्रीमती। \_\_\_\_\_ (नामित)

\*हम, श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (नामित),  
श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ और श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ संयुक्त किराएदारों के  
उत्तरजीवी, एतद्वारा उक्त सूची की एक प्रति के साथ उपरोक्त सूची में शामिल और निर्धारित सुरक्षा लॉकर की सामग्री की  
प्राप्ति को स्वीकार करते हैं।

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (नामित) श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (उत्तरजीवी) हस्ताक्षर  
हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

दिनांक और स्थान \_\_\_\_\_

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (उत्तरजीवी)

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

दिनांक और स्थान \_\_\_\_\_

(\* जो लागू न हो उसे काट दें)